

08.11.17

वकील अपीलान्त या स्वयं अपीलान्त कोई उपोद्यत
नहीं है। अपी. को बार-बार आवाजेँ दिलाई
गई। अपी. की आरक्ष कोई उपोद्यत नहीं आया।
अतः अपील अदम हाजरी व अदम फेरवी में
स्वारिज की जाती है। पत्रावली फेरवल शुमार दीकर
बाद तकरील जाब्ता दाखिल दफ्तर है।

संभागीय आयुक्त
भारतपुर संभाग, भरतपुर

जिला

ना